भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 264
06 अगस्त, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य अपमिश्रण शिकायतों हेतु त्वरित न्यायालय

***264. श्री ए.के.पी. चिनराज:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेषरूप से खाद्य अपमिश्रण मामलों/शिकायतों के निपटान हेतु त्वरित न्यायालय स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2011 के दौरान पंजीकृत मामलों सहित खाद्य अपमिश्रण के ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जो तमिलनाडु राज्य में विशेषकर नामक्कल जिले में निर्णय हेतु लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं;
(ग) उक्त जिले में वर्ष 2019 से आज तक सूचित किए गए गुड़ में अपमिश्रण के मामलों की संख्या कितनी है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान संगृहीत किए गए अपमिश्रित गुड़ के नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या ऐसे अपमिश्रित गुड़ के निर्माताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

06 अगस्त, 2021 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 264 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 में इसके प्रवर्तन और एफएसएस अधिनियम के तहत सभी उल्लंघनों, जिनमें खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले शामिल हैं, के न्यायनिर्णय के लिए फ्रेमवर्क, प्रक्रियाओं और कार्य-तंत्र का प्रावधान किया गया है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन पर शास्तियों का भी प्रावधान किया गया है। इनमें वांछित प्रकृति या पदार्थ या गुणवत्ता न रखने वाले खाद्य पदार्थ; अवमानक (घटिया) खाद्य पदार्थ; मिथ्या ब्रांड का खाद्य पदार्थ; बाहरी असंगत पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ; असुरक्षित खाद्य पदार्थ आदि का विक्रय करने; भ्रामक विज्ञापन; खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निदेशों का अनुपालन नहीं करने; मिलावट का सामान रखने, खाद्य पदार्थ के अस्वस्थ या अस्वच्छ प्रसंस्करण या विनिर्माण पर शास्तियां/ सजा शामिल हैं। जैसा कि एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 68 में दिया गया है, शास्तियों/ जुर्मानों वाले अपराधों का न्यायनिर्णय न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिन अपराधों में कारावास की सजा (जुर्माने के साथ या बिना) दी गई हो उन पर मुकदमा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित विशेष न्यायालयों में चलाया जाता है और जहां ऐसे न्यायालय नहीं हैं वहां इन पर मुकदमा सामान्य न्यायक्षेत्र के आपराधिक न्यायालयों में चलाया जाता है।

(ख): तमिलनाडु सरकार से प्राप्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एफएसएस अधिनियम के तहत 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार खाद्य उत्पादों से संबंधित लंबित पड़े सिविल (जिनमें सिर्फ जुर्माना शामिल है) और आपराधिक मामले निम्नानुसार हैं:-

सिविल मुकदमे	1583
आपराधिक मुकदमे	1800

नामक्कल जिले में, वर्ष 2011 से 14 आपराधिक लंबित मामले निम्नानुसार हैं:
परमाती जूडिशियल मैजिस्ट्रेट न्यायालय- 12 मामले
नमक्कल जूडिशियल मैजिस्ट्रेट न्यायालय- 2 मामले

(ग) और (घ): तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2019 से अब तक नमक्कल जिले में गुड़ के 33 नमूने उठाए गए। इनमें से 14 नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए और 8 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इन 8 गैर-अनुरूप मामलों में 3 नमूने असुरक्षित पाए गए, 2 नमूने अवमानक (घटिया) पाए गए तथा 3 नमूने गलत ब्रांड के पाए गए। इन 8 मामलों में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं।

(ङ): वर्ष 2011 से नियमित निरीक्षण किए गए। निरीक्षणों के आधार पर 90 प्रवर्तन नमूने उठाए गए। इसके अलावा 14 सर्विलांस नमूने भी उठाए गए। खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। 36 न्याय-निर्णयन मामले दर्ज किए गए। जिनमें से 33 मामलों में दोष सिद्ध हुआ और इन मामलों में लगाई गई कुल शास्ति 4,79,000/- रुपए की थी। इसके अतिरिक्त 14 आपराधिक मामले भी दर्ज हुए।

*****